प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय न्यायमूर्ति श्री सतीश के. अग्निहोत्री

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1252/2007

याचिकाकर्ता - कुमान सिंह

बनाम

उत्तरवादी - रामचंद व एक अन्य

.....

उपस्थितः

याचिकाकर्ता की ओर से श्रीमती रेनू कोचर, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से श्री उत्कर्ष वर्मा, उप शासकीय अधिवक्ता,।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

.....

आदेश

(दिनांक 2 मार्च, 2007 को पारित)

1. यह रिट याचिका, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर की गई है, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग द्वारा विविध सिविल अपील क्रमांक 2/05 में पारित दिनांक 26-7-2006 के आदेश (अनुलग्नक पी.-7) की वैधता एवं विधिमान्यता को चुनौती देती है, जिसके अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी-1, बालोद, जिला-दुर्ग के समक्ष लंबित प्रकरण क्रमांक 26क/05 (कुमान सिंह बनाम रामचंद आदि) में याचिकाकर्ता द्वारा दायर दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में "संहिता") के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर दिया गया था।

2. संक्षेप में निर्विवाद तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता/वादी ने उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी से वादग्रस्त भूमि, जो खसरा क्रमांक 196/2, 196/3 एवं 196/4, क्षेत्रफल 0.26 हेक्टेयर तथा खसरा क्रमांक 662/2, 662/3, 662/4, क्षेत्रफल 0.52 हेक्टेयर है, के कब्जे हेतु सिविल वाद दायर किया है। उक्त लंबित वाद में याचिकाकर्ता ने संहिता के आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 1/प्रतिवादी को उक्त भूमि पर खड़ी फसल की कटाई में हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

3. व्यवहार न्यायाधीश श्रेणी-1, बालोद ने दिनांक 21.11.2005 के आदेश (अनुलग्नक पी.-5) द्वारा याचिकाकर्ता के आवेदन को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि याचिकाकर्ता उक्त भूमि के कब्जे में नहीं है, जिसके संबंध में उसने निषेधाज्ञा की मांग की थी, अतः कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद दायर करने की आवश्यकता थी। सुविधा के संतुलन याचिकाकर्ता के पक्ष में न पाते हुए, व्यवहार न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. इससे आक्रोशित होकर याचिकाकर्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 43 नियम 1 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बालोद, जिला-दुर्ग के समक्ष विविध अपील दायर की। उक्त अपील इस आधार पर निरस्त कर दी गई कि आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत दायर आवेदन पर सिविल न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित एवं उचित था। यह माना गया कि वादग्रस्त संपत्ति याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी क्रमांक 1 के संयुक्त कब्जे में है, क्योंकि दोनों सगे भाई हैं। अतः विधिवत बंटवारे के बिना उत्तरवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती।

5. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर संलग्न दस्तावेजों एवं अभिवचनों का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दर्ज निष्कर्ष उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों एवं ठोस तर्कों पर आधारित हैं। इसमें कोई अनियमितता, दोष या अधिकारिता संबंधी त्रुटि नहीं पाई जाती है।

6. यह सुव्यवस्थित विधि है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट जारी करने की शक्ति अथवा पर्यवेक्षणाधिकार का प्रयोग विरल रूप से और केवल उपयुक्त मामलों में ही किया जाना चाहिए, जब उच्च न्यायालय का न्यायिक विवेक ऐसा करने का निर्देश देता हो। (देखें: **सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय एवं अन्य**[1])।

7. **सूर्य देव राय बनाम राम चंदर राय एवं अन्य (पूर्वोक्त)** में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उत्प्रेषण रिट का निर्गमन गंभीर अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जाता है, अर्थात् जब कोई अधीनस्थ न्यायालय— (i) बिना अधिकारिता के कार्य करता है—अर्थात जहाँ अधिकारिता का अभाव होते हुए भी उसे ग्रहण कर लेता है, या (ii) अपने अधिकारिता से अधिक कार्य करता है—अर्थात अधिकार-सीमा का अतिक्रमण करता है, या (iii) विधि या प्रक्रिया के नियमों की स्पष्ट अवहेलना करता है अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्य करता है, जहाँ कोई निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है, और इसके परिणामस्वरूप न्याय का विफल होना होता है। उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे निम्नानुसार अभिप्राय व्यक्त किया—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "38. ऐसे प्रकार के मामले प्रायः उच्च न्यायालयों के समक्ष आते हैं। हम अपने निष्कर्षों को संक्षेप में, यद्यपि पुनरावृत्ति का जोखिम लेते हुए, निम्नानुसार प्रस्तुत करते हैं:"
>
> (1) XXXX XXXX XXXX
>
> (2) XXXX XXXX XXXX
>
> (3) XXXX XXXX XXXX
>
> (4) XXXX XXXX XXXX

1 (2003) 6 SCC 675

(5) चाहे वह उत्प्रेषण रिट हो या पर्यवेक्षणाधिकार का प्रयोग, मात्र तथ्य या विधि की साधारण त्रुटियों को सुधारने हेतु इनका उपयोग उपलब्ध नहीं है, जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूर्ण न हों: (i) त्रुटि स्पष्ट एवं अभिलेख पर प्रत्यक्ष रूप से परिलक्षित हो, जैसे कि वह विधि के प्रावधानों के स्पष्ट अज्ञान या पूर्ण उपेक्षा पर आधारित हो, और (ii) उसके परिणामस्वरूप गंभीर अन्याय या न्याय का घोर विफल होना घटित हुआ हो।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **किशोर कुमार खेतान एवं एक अन्य बनाम प्रवीण कुमार सिंह**[2] में आगे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है—

"13. संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधिकारिता सीमित हो सकता है, इस अर्थ में कि इसका प्रयोग केवल अधिकारिता संबंधी त्रुटियों को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। किन्तु जब कोई न्यायालय स्वयं से गलत प्रश्न पूछता है या प्रश्न के प्रति अनुचित दृष्टिकोण अपनाता है, तब भले ही वह तथ्यात्मक निष्कर्ष पर पहुँचे, ऐसा निष्कर्ष अधिकारिता के भीतर दिया गया नहीं माना जा सकता और वह भी अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा संशोधन के लिए योग्य होगा। आवश्यक निष्कर्ष प्रस्तुत करने में विफलता भी एक अधिकारिता संबंधी त्रुटि होगी, जिसे सुधारा जा सकता है। यहाँ अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा प्रदान करने का अधिकार तभी प्रयोग किया जा सकता था, जब यह निष्कर्ष दर्ज किया जाता कि यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के दिन वादी कब्जे में था और अंतरिम आदेश पारित होने के एक दिन बाद उसे वास्तव में बेदखल कर दिया गया। यथास्थिति बनाए रखने का अंतरिम आदेश एकपक्षीय आदेश था। अतिरिक्त जिला न्यायालय के आदेश से यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि उस न्यायालय ने संबंधित अभिलेखों पर उचित विचार करते हुए इन पहलुओं पर प्रथम दृष्टया स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किए हों। वादी के कब्जे के दावे की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2 (2006) 3 SCC 312

आधारभूत संधि मानी गई कथित पत्र में निहित प्रारंभिक दोषों को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता।"

9. वर्तमान प्रकरण में सम्मिलित विवाद्यक का समुचित विश्लेषण किया गया है तथा अभिलिखित निष्कर्ष पर्याप्त साक्ष्यों द्वारा समर्थित हैं। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कोई ऐसा अधिकारिता संबंधी त्रुटि है, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत इस न्यायालय द्वारा अपने पर्यवेक्षणाधिकार का प्रयोग करते हुए सुधारा जाना आवश्यक हो।

10. परिणामस्वरूप तथा उपर्युक्त कारणों से यह याचिका खारिज की जाती है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है।

सही/-

(सतीश के. अग्निहोत्री)

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**